District Magistrate
Date 28.11.14
R.No. 4837
Confidential Section, Darbhanga

पत्रांक ....

प्रेषक,

असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, दरभंगा।

सेवा मे,

निदेशक
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
विज्ञापन शाखा, पटना।

लहेरियासराय, दिनांक....................

विषयः– संलग्न विज्ञापन प्रकाशित करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक संबंध मे अनुरोध है कि इस पत्र के साथ संलग्न विज्ञापन दैनिक समाचार पत्र में श्याम–श्वेत में प्रादेशिक पृष्ट पर प्रकाशित करना चाहेगें।

उपरोक्त विज्ञापन का विपत्र तीन प्रति मे भुगतान हेतु अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करने की कृपा करें।

संलग्नक – विज्ञापन की विषय वस्तु सी0डी0 के साथ।

विश्वासभाजन

असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, दरभंगा।

ज्ञापांक ....3058........ लहेरियासराय, दिनांक ....28/11/14....

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, दरभंगा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

28/11/14

असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, दरभंगा।

कार्यालय असैनिक शल्य चिकित्सक–सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, दरभंगा।

निविदा सूचना संख्या

दरभंगा जिलान्तर्गत अनुमण्डलीय अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेफरल अस्पताल आदि इकाईयों के लिए वर्ष 2014–15में विभागीय पत्रांक –379(9) दिनांक 16.08.2002 तथा पत्रांक –73 (9) दिनांक 28.01.2006 एवं पत्रांक 1757 दिनांक 19.10.2006 एवं विभागीय निदेश के आलोक में दवा/रसायन/मशीन//उपकरण/उपस्कर/सामग्री पूर्तियों के क्रय सरकारी एवं गैर सरकारी तथा इच्छुक निर्माताओं या उनके प्राधिकृत विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं जो बिहार वाणिज्य–कर विभाग में निबंधित हो से मुहरबंद निविदा प्रथम प्रकाशन तिथि से 15 दिनों के अन्दर अपराह्न 5:00 बजे तक आमंत्रित किया जाता है। निविदा निबंधित डाक द्वारा स्वीकार किया जायगा। प्राप्त निविदाओं को साधारणतः अगली तिथि के पूर्वाहन 11:30 बजे अधोहस्ताक्षरी प्रकोष्ठ में जिला क्रय समिति द्वारा खोली जायगी। निविदा प्राप्ति को अंतिम तिथि को अवकाश रहने की स्थिति में अगला कार्य दिवस अंतिम तिथि होगा। निविदा खोलने के समय निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

निविदा दो प्रकार की होगी, (क) तकनीकी निविदा (ख) वित्तीय निविदा

निविदा शर्त निम्न प्रकार है–

1. सर्वप्रथम निविदादाता द्वारा दिये गये तकनीकी निविदा के लिफाफा को खोला जायगा/ तकनीकी निविदा में योग्य पये जाने पर ही निविदादाता का वित्तीय निविदा खोला जायगा।
2. निविदादाता द्वारा तकनीकी निविदा, वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफो में रहना अनविवार्य है।
3. निविदादाता को निविदा के समय जमानत की राशि के रूप में 50000=00(पचास हजार) रूपये मात्र का किसी राष्ट्रीय बैंक का बैंक ड्राफ्ट जो सिविल सर्जन, दरभंगा के पदनाम से हो संलग्न करना अनिवार्य है।
4. सभी निविदादाताओं को निविदा के साथ आयकर एवं बिक्रीकर मूल निकाय प्रमाण पत्र C-1एवं C-1v का अद्यतन चूकता प्रमाण पत्र समपित करना अनिवार्य है।
5. निविदा के साथ निर्माता/आपूर्तिकर्त्ता औषधि अनुज्ञप्ति पत्र के आधार पर निविदा देने वाले निविदादाता को विज्ञापन प्रकाशन के बाद की तिथि का प्रधिकार पत्र मूल में सिविल सर्जन, दरभंगा के पदनाम से निर्गत प्राधिकार पत्र पर विचार किया जायगा।
6. निविदादाता द्वारा फर्म के मालिक/पार्टनशीप/निदेशक अभिकर्त्ता का निवास स्थान एवं दूरभाष संख्या सहित उल्लेखित रहना अनिवार्य होगा।
7. आपूर्ति के समय दवाओं के सभी डिब्बा/रेपर पर " Bihar Govt. Supply Not for Sale" अंकित होना अनिवार्य होगा। मशीन उपकरण पर निर्माता कम्पनी का नाम Emboss रहना अनिवार्य होगा।
8. प्रत्येक स्थिति में आपूर्ति की जानेवाली दवाओं एवं सामग्रीयो का गुण कोटि कार्यकुशलता एवं टिकाउपन को ध्यान में रखना अनिवार्य होगा।
9. वित्तीय निविदा में प्रत्येक औषधियों एवं अन्य सामग्रियों का दर कर रहित एवं कर सहित स्पष्ट अक्षरो में टंकित रहना अनिवार्य है। मशीन उपकरण पर निर्माता फर्म का नाम Emboss रहना अनिवार्य होगा।
10. निविदादाता को आपूर्ति आदेश निर्गत की तिथ से 15 दिनों के अन्दर अपने खर्च पर आपूर्ति आदेश निर्गत करने वाले पदाधिकारी के दवा भण्डार तक पहुँचाना अनिवार्य होगा आपूर्ति में टूट–फूट एवं बिलम्ब के लिए किसी प्रकार की दवा स्वीकार नही किया जाएगा।
11. आपूर्ति की जानेवाली दवा की समाप्ति तिथि कम से कम 16 माह से 24 माह तक होना चाहिए।
12. बडे मशीन उपकरण/1 लाख रूपये से अधिक मूल्य के मशीन/उपकरणों का Installation/ प्रर्दशन एवं एक वर्ष गारंन्टी तथा बैंक गारन्टी जमा करने पर ही भुगतान होगा। जिन मशीन उपकरण आपूत्तिकर्त्ता द्वारा A.M.C. द्वारा किया जाएगा उनके फर्म सेवा कर से निबंधित होना अनिवार्य होगा।

13. आपूर्ति की जानेवाली दवाओं का विश्लेषण प्रतिवेदन विपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
14. लघु अद्योग इकाई की उत्पादकता हो तथा WHO/GMP से प्रमाणित हो उन्हे नियमानुसार प्राथमिकता दी जाएगी।
15. निविदादाता को सामग्री आदि का मशीन उपकरण एवं सामग्री आवश्यकता पड़ने पर नमूना क्रय समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा ताकि नमूना के आधार पर गुणवक्ता का पहचान किया जा सके।
16. दवा उपकरण सामग्री की सूची निविदा प्रकाशन की तिथि से 15वें दिन तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से कार्य अवधि में मो0–200/–(दो सौ) रूपये का बैंक ड्रफ्ट (अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से) जमा कर प्राप्त की जा सकती है। मॉग पत्र 10'x4' का लिफाफा स्वलिखित पता एवं डाक टिकट सहित 200/– (दो सौ) रूपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट भेज कर भी प्राप्त किया जा सकता है। जिनके नाम से निविदा सूची निर्गत नही होगी उनके निविदा पर विचार नही किया जायगा। विशेष जानकारी के लिए बेवसाईड www.prdbihar.org पर भी देखा जा सकता है।
17. निविदादाता निविदा के साथ VAT के अन्तर्गत निबंधित होने का प्रमाण पत्र संलग्न करे एवं विगत तीन वर्षो का VAT AUDITED REPORT संलग्न करना होगा। विगत लगातार तीन वर्षो में पचास–पचास लाख रूपये से कम टर्नओवर रखने वाले फर्म निविदा के पात्र नही होंगे।
18. आपूर्ति किए गए दवाओं एवं सामग्री के निम्न स्तर के पाये जाने पर सभी आपूर्ति की गई दवा अपने खर्च पर वापस ले जाना होगा तथा भुगतान की गई पूर्ण राशि वापस करना होगा। नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।
19. निविदा संबंधित आवश्यक संशोधन अथवा निविदा रद्व करने का अधिकार जिला क्रय समिति को सुरक्षित होगा।
20. निविदा संबंधित किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र दरभंगा जिला होगा।
21. कोट किए जाने वाले मशीन उपकरणों का रंगीन कैटलॉग मॉडल सं0 विस्तृत विवरण के साथ संलग्न रहना चाहिए अन्यथा विचारणीय नही होगा।
22. बिहार के उत्पादक फर्म को आपूर्तिकर्त्ता के मुकाबले वित्त विभाग के नियमानुकूल प्राथमिकता दी जाएगी।
23. राज्य से बाहर के निबंधित फर्म का बिहार वाणिज्य – कर सं निबंधित/बिहार में किसी/निबंधित कार्यलय होना अनिवार्य होगा।
24. निविदादाता द्वारा D.P.C.O का दर में उल्लंधन करने पर कानूनी कार्रवाई की जायगी।
25. मशीन उपकरण सामग्रियों आदि की सूची में दी गई Specification के अनुसार ही निविदा स्वीकार की जाएगी अन्यथा तुलनात्मक विवरणी में दर की प्रविष्टि नही की जाएगी।
26. जिला स्तर पर सिविल सर्जन, दरभंगा की अध्यक्षता में गठित गुणवत्ता यकीन समिति के द्वारा आपूर्ति किये गये सामग्री/उपकरण की गुणवक्ता जॉच की पश्चात ही भुगतान किया जाएगा।

28/11/14

असैनिक शल्य चिकित्सक सह
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, दरभंगा।